प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

<u>दा०अ० क्र०. 1857/1998</u>

ब्रम्ह्दत्त पाठक

बनाम

म.प्र राज्य

विचारार्थ आदेश

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 20/04/2012 को सूचीबद्ध किया करें|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर

दा०अ० क्र०. 1857/1998

अपीलार्थी	**ब्रम्ह्दत्त पाठक**
प्रत्यर्थी :	**मध्य प्रदेश राज्य**

श्री संजय अग्रवाल अपीलार्थी की ओर से |

श्री चंद्रेश श्रीवास्तव पैनल अधिवक्ता प्रत्यार्थी की ओर से |

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें

निर्णय

(20/04/2012)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 17.08.1998 को विशेष न्यायाधीश, बस्तर (जगदलपुर) द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 02/1995 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उसे धारा 7 के अंतर्गत एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में शर्त सहित, दण्डित किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रासंगिक समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी एम.पी.एस.आर.टी.सी. (संक्षेप में "निगम"), जगदलपुर में डिपो प्रबंधक के पद पर कार्यरत था तथा शिकायतकर्ता दिलीप कुमार चित्रसेन उक्त निगम में चालक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 03.03.1994 को शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिकारी, रायपुर के समक्ष लिखित शिकायत (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी उससे 5,000/- रुपये की मांग कर रहा था, यह कहते हुए कि उसी ने उसे नियुक्त कराया है। जब शिकायतकर्ता ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उक्त राशि देने से इंकार किया, तब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे चिकित्सीय प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उसे लाइन में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों प्रमाण-पत्र शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त कर अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए, तथापि उसे कार्य आवंटित नहीं किया गया तथा अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह कहते हुए उसे धमकाया कि उसी ने

उसे नियुक्त कराया है और यदि 5,000/- रुपये नहीं दिए गए तो वह उसे हटा भी सकता है। दिनांक 01.03.1994 को जब शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी से भेंट की और सूचित किया कि वह 5,000/- रुपये की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तब अपीलार्थी ने उससे कहा कि वह स्वयं दिनांक 03.03.1994 तक कम से कम 2,500/- रुपये की व्यवस्था कर ले तथा शेष राशि बाद में अदा कर दे। अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे दिनांक 03.03.1994 को उक्त राशि के साथ कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा। आरोप है कि जब शिकायतकर्ता उक्त रिश्वत राशि देने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसके विरुद्ध कार्यवाही की आशंका हुई, तब उसने शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 03.03.1994 को स्वतंत्र गवाह बी.के. सिरोही (अभि. सा.-2) एवं बी.एस. बैस्य (अभि. सा.-1) की उपस्थिति में प्रारंभिक पंचनामा तैयार किया गया। आनंद दीवान के नेतृत्व में ट्रैप दल गठित किया गया। 100 रुपये के 22 नोट तथा 50 रुपये के 6 नोटों पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगाकर परीक्षण प्रदर्शित किया गया। उक्त चिह्नित नोट शिकायतकर्ता को निर्देश सहित दिए गए। इसके पश्चात ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के निवास स्थान पर गया। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त राशि अभियुक्त/अपीलार्थी को दी गई। संकेत मिलने पर ट्रैप दल ने छापा मारकर अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर से राशि बरामद की। उक्त राशि बी.एस. बैस्य (अभि. सा.-1) द्वारा जप्त की गई तथा तत्पश्चात ट्रैप पंचनामा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया। फिनॉलफ्थलीन परीक्षण सकारात्मक पाया गया। तत्पश्चात प्रथम सुचना प्रतिवेदन पी-22 दर्ज किया गया तथा अभियोजन हेतु मंजूरी प्राप्त कर दिनांक 20.09.1995 को अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए मिथ्या फँसाए जाने का कथन किया। अभियुक्त/अपीलार्थी का प्रतिरक्षा यह है कि घटना के दिन शिकायतकर्ता ने उसे 2,500/- रुपये देने का प्रयास किया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने जबरन उक्त राशि उसकी शर्ट की बाईं जेब में डालने का प्रयास किया, जिस पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे धक्का-मुक्की हुई और बल प्रयोग के कारण नोटों पर लगा पाउडर उसकी शर्ट पर गिर गया। उसका यह भी कथन है कि धक्का-मुक्की कुछ समय तक चलती रही और जब शिकायतकर्ता उक्त राशि उसकी जेब में रखने में असफल रहा, तो उसने राशि समीप खड़े अपने स्कूटर पर रख दी। उसके अनुसार उसने शिकायतकर्ता से कभी कोई राशि की मांग नहीं की और न ही भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) परिवादी से राशि लेने को कहा। उसने यह भी कहा कि यदि भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) द्वारा कोई मांग की गई हो तो वह अनुचित थी। आगे उसने कहा कि शिकायतकर्ता को घटना से लगभग पाँच माह पूर्व नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका था और वह नियमित रूप से कार्य कर रहा था तथा उसे पद से हटाने की कोई धमकी नहीं दी गई थी।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के कंडिका क्रमांक 1 में उल्लिखित अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दण्डित किया।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

6. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कभी भी रिश्वत की कोई मांग नहीं की गई, जैसा कि अभियोजन द्वारा आरोपित किया गया है। उनका कथन है कि अभियोजन मांग एवं स्वीकृति सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, क्योंकि स्वयं शिकायतकर्ता ने न्यायालय में अपने कथन में कहा है कि जब उसने राशि देने का प्रयास किया तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार नियुक्ति आदेश शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी हो जाने के पश्चात किसी प्रकार की मांग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उनका यह भी तर्क है कि कथित रंजित राशि अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर की सीट से बरामद हुई तथा शिकायतकर्ता एवं भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) के कथनों के अनुसार भी अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कोई राशि स्वीकार नहीं की गई। उनके अनुसार अभियोजन अवैध परितोषण की मांग सिद्ध करने में असफल रहा है, जो कि इस विशेष उपबंध के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध कोई परिकल्पना उध्धारित नहीं की जा सकती। आगे यह भी निवेदन किया गया कि यदि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कोई विधिक परिकल्पना मानी भी जाए, तो भी प्रतिरक्षा ने संभावनाओं के प्राबल्य के आधार पर यह स्थापित कर दिया है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से कोई अवैध पारितोषिक स्वीकार नहीं किया। अधिवक्ता का यह भी कथन है कि शिकायतकर्ता ने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया तथा पश्चातवर्ती चरण में विरोधी वह पक्षद्रोही किया गया। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि एफ.एस.एल. प्रतिवेदन भी अभियोजन द्वारा विधिवत सिद्ध नहीं किया गया है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों—***बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 4 एस.सी.सी 450***; ***सुभाष परबत सोनवणे बनाम गुजरात राज्य,*** **(2002) 5 एस.सी.सी 86**; ***पन्नालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1979) 4 एस.सी.सी 526; ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एस.सी.सी 587; महाराष्ट्र राज्य बनाम दिनेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े, (2009) 15 एस.सी.सी 200; तथा गगन कनेजिया बनाम पंजाब राज्य, (2006) 13 एस.सी.सी 516***—पर विश्वास व्यक्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, प्रत्यार्थी/राज्य की ओर से अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि जब कथित राशि अभियुक्त/अपीलार्थी के स्वामित्व वाले स्कूटर की सीट से बरामद हुई है, तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विशेष प्रावधान के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. बी.एस. बैस्य (अभि. सा.-1), जो घटना के समय तहसीलदार थे, ट्रैप कार्यवाही के साक्षी हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के दिन वे जगदलपुर में पदस्थ थे तथा वे अपीलार्थी को जानते थे, जो डिपो प्रबंधक, जगदलपुर के पद पर कार्यरत था। उनके अनुसार घटना के दिन लगभग प्रातः 9 बजे वे पुलिस

विभाग के कार्यालय गए, जहाँ अधीक्षक एस.पी. मिश्रा तथा शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे। उन्होंने यह भी कहा की वह एक राजपत्रित अधिकारी भी मिले थे जिनका नाम वह नहीं जानते । उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता (प्रदर्श पी-1) जो की शिकायत डी.वाई.एस.पी. द्वारा दिया गया उनके द्वारा सुनाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा 2,500/- रुपये प्रस्तुत किए गए, जिनके क्रमांक अंकित किए गए तथा उन पर फिनॉलफ्थलीन पाउडर लगाया गया। तत्पश्चात उक्त 2,500/- रुपये शिकायतकर्ता की शर्ट की जेब में रखे गए और उसे निर्देश दिया गया कि राशि देते समय वह ट्रैप दल को संकेत देगा। इसके पश्चात पहले शिकायतकर्ता को अभियुक्त/अपीलार्थी के निवास स्थान पर भेजा गया, उसके पीछे अभियंता तथा डी.वाई.एस.पी. गए। प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया। इसके बाद अभियुक्त/अपीलार्थी को बुलाया गया और जैसे ही उसने पाउडर लगे नोटों को हाथ लगाया, डी.वाई.एस.पी. ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथ धोए गए। उसके स्कूटर की सीट से राशि प्रदर्श पी 3 के माध्यम से राशी बरामद की गई तथा पंचनामा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया। इस साक्षी के अनुसार ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के घर के मुख्य द्वार पर पहुँचा, जहाँ वह देवांगन तथा अपने स्कूटर के साथ खड़ा था। बी.के. सोवटी (अभि. सा.-2), जो सिंचाई विभाग में कार्यपालन अभियंता जो ट्रैप कार्यवाही के साक्षी थे, ने भी लगभग वही कथन किया है जो बी.एस. बैस्य (अभि. सा.-1) ने किया। श्यामलाल (अभि. सा.-3), जो उस समय एम.पी.एस.आर.टी.सी. में उच्च श्रेणी लिपिक थे, के माध्यम से उपस्थिति पंजिका (प्रदर्श पी-7) जप्त की गई तथा उन्होंने कहा कि पृष्ठ क्रमांक 56, 60, 64, 68, 72 एवं 76 पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति दर्ज है। जे.एन. दत्त (अभि. सा.-4), जो प्रस्तावित समय में एम.पी.एस.आर.टी.सी में लिपिक थे, वे साक्षी थे जिससे अभियुक्त तथा परिवादी की निजी फाइल जप्त की गयी (प्रदर्श पी-9 एवं पी-10)। भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5), जो उस समय ट्रैफिक निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, ने अपने साक्ष्य में कहा कि उपस्थिति पंजिका (प्रदर्श पी-6) एवं ड्यूटी चार्ट (प्रदर्श पी-15) जप्त किए गए। उन्होंने कहा कि घटना के दिन जब शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलार्थी के घर गया, तो वह वहाँ बैठे हुए थे' क्युकी वह किसी आधिकारिक कार्य से चर्चा हेतु गया था। उनके अनुसार जब शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को बुलाया, तो वह बाहर बरामदे में आया और शिकायतकर्ता भी वहाँ आया तथा अभियुक्त के पैर छुए उसके पश्चात अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे वाहन चलाने की अनुमति देने का निवेदन किया।

उक्त साक्षी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने राशि अभियुक्त/अपीलार्थी की जेब में डालने का प्रयास किया, परंतु उसने उसे अस्वीकार कर दिया तथा यह भी कहा कि उसे धन की आवश्यकता नहीं है और उसे ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त न होने की चेतावनी दी। जब शिकायतकर्ता ने बलपूर्वक राशि देने का प्रयास किया, तो अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसका प्रतिरोध किया, जिससे धक्का-मुक्की हुई और पाउडर लगे नोट उसकी शर्ट पर लग गए। तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने राशि अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर पर रख दी। जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे ऐसा ना करने पर और पैसे लेकर उसे जाने को कहा, तभी ट्रैप दल के सदस्य वहाँ आ गए और अभियुक्त/अपीलार्थी को पकड़ लिया तथा उससे राशि जप्त कर ली। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार चित्रसेन (अभि. सा.-6) ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के दिन वह एम.पी.एस.आर.टी.सी.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में चालक के पद पर कार्यरत था, जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी डिपो प्रबंधक था और भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) नियंत्रण कक्ष प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। उसके अनुसार, भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) ने उससे 5,000/- रुपये की मांग की थी, यह कहते हुए कि अभियुक्त/अपीलार्थी ही वह व्यक्ति है जिसने उसकी नियुक्ति कराई है। उसने यह भी कहा कि अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह राशि की व्यवस्था नहीं कर सका, अतः उसने प्रदर्श पी-1 के अनुसार शिकायत तैयार कर पुलिस को दी तथा 2,500/- रुपये पुलिस को दिए। उक्त राशि पर पाउडर लगाया गया तथा उसके जेब में रख दिया गया और उसे निर्देश दिया गया कि वह राशि अभियुक्त/अपीलार्थी को दे और संकेत दे। तत्पश्चात ट्रैप दल के साथ वह अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्यालय गया, परंतु जब वह वहाँ उपलब्ध नहीं मिला तो वे उसके घर गए। पहले वह अकेले उसके घर गया और दरवाजा खटखटाया तथा आवाज देने पर भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) बाहर आए और बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी घर में है। जब अभियुक्त/अपीलार्थी बाहर आया, तब उसने उसे राशि देने का प्रयास किया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात उसने राशि अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर पर रख दी और ट्रैप दल को संकेत दिया। तत्पश्चात ट्रैप दल उसके घर पहुँचा और अभियुक्त/अपीलार्थी को पकड़ लिया उस स्तर पर साक्षी पक्षद्रोही हो गया। इस साक्षी ने लोक अभियोजन द्वारा किये गए प्रति परिक्षण में यह स्वीकार किया कि राशि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी। किशोर चन्द्र जोशी (अभि. सा.-7) वह साक्षी हैं जिन्होंने स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी-17) तैयार किया। प्रवीण श्रीवास्तव (अभि. सा.-8) अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले साक्षी हैं। शतिश कुमार दुबे (अभि. सा.-9), जो ट्रैप दल के सदस्य थे, ने अभियोजन का समर्थन करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता कार्यालय आया, लिखित शिकायत प्रस्तुत की, ट्रैप की कार्यवाही की गई तथा मुद्रा नोटों को जब्त कर अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर की सीट से बरामद किया गया। मुरलीलाल (अभि. सा.-10) जब्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-15) के साक्षी हैं। शेख सरफुद्दीन (अभि. सा.-11) प्रदर्श पी-20 के साक्षी है जिसके माध्यम से चालकों की ड्यूटी संबंधी जानकारी अन्वेषण अधिकारी को प्रदान की। दाऊराम (अभि. सा.-12) कांस्टेबल है, जो ट्रैप दल के सदस्य थे, ने अभियोजन का समर्थन करते हुए कहा कि ट्रैप के उपरांत रासायनिक परीक्षण किया गया, जो सकारात्मक पाया गया तथा मुद्रा नोट अभियुक्त/अपीलार्थी के स्कूटर से जब्त किए गए। आनंद दीवान (अभि. सा.-13) अन्वेषण अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने और गवाहों के साक्ष्यों सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने के बाद, यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग और उसे स्वीकार किए जाने की बात को साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। स्वयं शिकायतकर्ता के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता द्वारा दिए जा रहे २,५०० रुपये की राशि को स्वीकार करने से लगातार इनकार कर दिया, तो उक्त राशि उसके पास खड़ी उसकी स्कूटर की सीट पर रख दी गई थी, और उसके बाद भी अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे उस राशि को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, अन्यथा वह "हवा में गायब हो जाएगी"। भागीरथी देवांगन (अभि.

सा.-5), जो ट्रैप (छापेमारी) के समय अभियुक्त/अपीलार्थी के घर में ही मौजूद थे, के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को बुलाया, तो वह और अभियुक्त/अपीलार्थी बरामदे में आए, जहाँ शिकायतकर्ता ने आकर अभियुक्त/अपीलार्थी के पैर छुए और वाहन चलाने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसके बदले वह उसे "प्रसन्न" कर देगा। इस गवाह के अनुसार, ऐसा कहते हुए शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी की जेब में पैसे ठूँसने की कोशिश की, लेकिन उसने यह कहते हुए उसे लेने से इनकार कर दिया कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। इस गवाह के अनुसार, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को ऐसी अवांछित गतिविधियों में शामिल न होने के लिए भी कहा था। इस गवाह ने आगे कहा है कि शिकायतकर्ता के कृत्य पर अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किए गए विरोध के कारण हाथापाई हुई और बल प्रयोग किया गया, तथा अंततः जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से पैसे स्वीकार नहीं किए, तो उसने जाकर वही पैसे पास में खड़े अपने स्कूटर पर रख दिए। जब अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे ऐसा न करने और पैसे साथ ले जाने के लिए कहा, तभी ट्रैप पार्टी के सदस्य वहां आ गए और अभियुक्त/अपीलार्थी के हाथ पकड़ लिए और पैसे की ज़ब्ती की गई। अतः यदि शिकायतकर्ता (अभि. सा.-6) और गवाह भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) के साक्ष्यों को एक साथ देखा जाए, तो वे एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसके अलावा, अभिलेख से पता चलता है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, ड्राइवरों को काम सौंपने में अभियुक्त/अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि शिकायतकर्ता (अभि. सा.-6) ने स्वयं अपने बयान के कंडिका ४ में कहा है कि वह भागीरथी देवांगन (अभि. सा.-5) थे जो ड्राइवरों को काम सौंपा करते थे और उसे काम देते समय अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे कभी भी पैसों की मांग नहीं की थी। ***बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति सिद्ध न होने की स्थिति में, केवल अभियुक्त से रंजित राशि की बरामदगी के आधार पर उसे इस विशेष प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पैसे लेने से इनकार करने और उसकी जेब में पैसे ठूँसने के प्रयास में विफल रहने के बाद, शिकायतकर्ता ने अंततः उस राशि को अभियुक्त/अपीलार्थी के पास खड़े स्कूटर पर रखने का फैसला किया। यह बरामदगी स्वयं अभियुक्त से नहीं, बल्कि उसके स्कूटर से की गई थी। ***मीना बलवंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000 ए.आई.आर एस.सी.डब्लू 1640)*** के मामले में इसी तरह के बिंदु पर विचार करते हुए यह माना गया है कि अभियुक्त से नहीं की गई कोई भी बरामदगी न होना निर्णायक रूप से उसके द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाती है। अतः इन परिस्थितियों में, और यह ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता ने स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और बाद में उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला युतिपूर्ण संदेह से परे साबित कर दिया है। ऐसी स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है। इस प्रकार, अधिनस्त न्यायालय गवाहों के साक्ष्यों के मूल्यांकन और उसके आधार पर आक्षेपित निर्णय के निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहा है, जिसे कानून की दृष्टि में बरकरार नहीं रखा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. फलस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह पहले से ही जमानत पर है, इसलिए उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा कोई जुर्माना राशि जमा की गई है, तो वह उसे वापस कर दी जाए।

सही/-

श्री प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायधीश

-000-

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur